गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं **I.S.O.-14001-2015** प्रमाणित संस्था

पत्रांक.135 / 04 / खेल अधिकारी / 2019–20 दिनांक 10.02.2020

<u>रूचि की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)**</u>

उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम में निर्मित हॉकी ग्राउण्ड एवं नेट प्रेक्टिस एरिया मात्र के संचालन हेतु समक्ष इच्छुक कोच/संस्थानों एसोसिएशनी एवं समूह से दिनांक– .20.02.2020 तक रूचि की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)** प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रस्ताव के साथ धरोहर राशि में रू0 1,00,000 मात्र की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में संलग्न करनी होगी।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्ते। E.O.I. की शर्ते निम्नानुसार है।

1. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम :–*(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी।*
2. *अनुज्ञप्तिग्रहिता को रू0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र सिक्योरिटी मनी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होंगी। जो* M.O.U.*अवधि समाप्त होने के उपरान्त वापिस की जायेगी।*
3. *प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व पहचान पत्र (वोटर आई0डी0 अथवा आधार कार्ड) फोटो की प्रति जमा कराना होगा।*
4. *यह कि इस अनुज्ञप्ति पर दिये गए स्थल के संचालन का वार्षिक अनुज्ञप्ति अंशदान प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांक .... से दिनांक .... तक तीन वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगी, अनुज्ञप्ति विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा।*
5. *यह कि अनुज्ञप्ति पर दिये गए स्थलो का कब्जा अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता को स्थाई निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।*
6. *यह कि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुज्ञप्ति विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर अनुज्ञप्ति ग्रहिता को* शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम *(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थलो का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।*
7. *यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पति व उसके आस–पास की सफाई में (न्यूतम् 2 स्पीवर) का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्ति ग्रहिता का होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता अपने खर्चे पर आवश्यक अनिवार्य रूप से अतिरिक्त व्यवस्था स्वंय करेगा।*

8. यह कि अनुज्ञप्ति पर दिये गये स्थलो के रख–रखाव व मरम्मत/अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति ग्रहिता की होगी व अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और उक्त स्थलो पर ऐसी गतिविधि नहीं करेगा, जिससे अनुज्ञप्ति ग्रहिता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।

9. यह कि अनुज्ञप्तिकर्ता को अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा दिये गए सुझाव अनुज्ञप्ति ग्रहिता को मान्य होंगे। अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

10. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति ग्रहिता की होगी अनुज्ञप्तिकर्ता, द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

11. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त सर्वोच्च प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तो में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।

12. सर्वोच्च प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत सिक्योरिटी मनी की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत सिक्योरिटी मनी की राशि जब्त करते हुए शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।

13. आयकर प्राविधानों के अनुसार ठेके हेतु प्राप्त सर्वोच्च प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित टी0डी0एस0 की धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त अतिरिक्त रूप में प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी।

14. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।

15. अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।

17. प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम जिस अवस्था में सर्वोच्च प्रस्तावक को दिया जायेगा उसी अवस्था में M.O.U.अवधि समाप्त होने पर वापस हस्तगत करना होगा अन्यथा दृष्टिगत सिक्योरिटी जप्त कर प्रस्तावक के हर्जे खर्चे पर कार्य कराया जायेगा।

18. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

19. अनुज्ञप्तिग्रहिता अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी/संस्था को हस्तान्तरित नहीं करेगा, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्ति को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।

20. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी खिलाडी/दर्शक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

21. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल हेतु विद्युत देयता सम्पूर्ण परिसर के विद्युत देयता का 100% भुगतान अनुज्ञप्ति ग्रहिता द्वारा किया जायेगा। विद्युत उपयोग के देयको की प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जाएगा, ऐसा नहीं करने की दशा में प्रतिपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली की भांति वसूली की जा सकेगी।

22. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल में क्रिकेट की गतिविधियों की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग आदि दिलाई जायेगी और उसके लिए प्रशिक्षण शुल्क एजेन्सी द्वारा लिया जा सकता है, जो कि निम्नवत् होगा।

		दरें रू0 में
1)	हॉकी ग्राउन्ड मैच शुल्क सामान्य श्रेणी प्रति मैच	5000/-
2)	हॉकी मैच नेट प्रेक्टिस प्रति माह	7000/- प्रति तीन घंटा प्रतिदिन– एक माह मे
3)	लोकल ग्रुप मैच (सीरीज) प्रति मैच	6000/-

23. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल में किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्ति विलेख निरस्त कर दिया जायेगा और जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।
24. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट–फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
25. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायायल एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गए आदेशों का अनुपालन अनुज्ञप्तिग्रहिता को करना होगा।
26. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
27. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) संचालन स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते पहचान पत्र सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
28. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थलो पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं यथा बैरियर, उद्घोषणा हेतू माईक, टिकट केबिन व सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
29. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल के संचालन व्यवस्था में लगाये गए सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम (Labour Act) का पालन एवं ई0एस0आई0 व पी0एफ0 आदि की सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता का होगा। प्रशिक्षक (कोच) के लिए अपर आयु सीमा शिथिलनीय होगी।
30. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी द्वारा लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल संचालन व्यवस्था में लगाये गए कर्मी पूर्व में कभी भी किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहे है, इस आशय का शपथ पत्र अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा प्राधिकरण में जमा करना होगा।

31. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी को प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन कर्मचारियों को शुल्क मे 50 प्रतिशत की छूट देनी होगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

32. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी उक्त स्थल को अन्य किसी संस्था को संचालन हेतु हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी।

33. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी को अपने नाम के साथ–साथ प्राधिकरण के लोगो एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा।

34. एजेन्सी स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगायेगी, जिससे स्वामित्व का आभास होता हो।

35. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) रूम की समस्त सुरक्षा एवं रख–रखाव तथा साफ–सफाई का दायित्व एजेन्सी का होगा।

36. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम(हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) तीन वर्ष के लिए एजेन्सी को प्राधिकरण की नियम शर्तो पर दिया जायेगा, उसके बाद पुनः दोनो पक्षो की सहमति से समय अवधि बढाए जाने की दशा में पुनः एम0ओ0यू0 निष्पादित कराना होगा।

37. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।

38. प्राधिकरण को कोर्ट की जब भी आवश्यकता होगी तभी स्थल उपलब्ध कराना होगा।

39. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) का उपयोग क्रिकेट गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रमो के लिए नहीं किया जायेगा।

40. क्रीडा स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता संस्था का होगा।
उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउण्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

41 सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति द्वारा सुरक्षा कर्मियों (एक दिन में एक रात में) कुल दो गार्ड नियमित रूप से तैनात करने होगे जिसका व्यय भार अनुज्ञप्ति द्वारा स्वयं ग्रहण करना होगा।

अधि0अभि0/नोडल खेल अधिकारी।